## एक नजर में

### पीडब्ल्यूडी का बाबू चलवा रहा था सेक्स रैकेट

**जबलपुर**. अधारताल थाना अंतर्गत सुहागी सरस्वती कॉलोनी पन्नी मोहल्ला में चल रहे सेक्स रैकेट के मामले में पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो नए खुलासे हुए. आरोपी मकान मालिक पीडब्ल्यूडी सीनियर इंजीनियर ऑफिस में बाबू के पद पर पदस्थ था जिसके संरक्षण में देह व्यापार संचालित हो रहा था. जिसमें उसकी हिस्सेदारी भी थी. रविवार को पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

### विवाहिता की संदिग्ध मौत

**नीमच।** शहर के बघाना थाना क्षेत्र में एक 32 वर्षीय विवाहिता की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। रिटायर्ड कॉलोनी निवासी पूजा मराठा रविवार रात अपने घर पर काम कर रही थीं, तभी वे अचानक अचेत हो गईं। प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि महिला की मौत साइलेंट हार्ट अटैक के कारण हुई है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित पूजा को बेसुध हालत में देखकर उनके पति निलेश मराठा तुरंत उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सोमवार को महिला को मृत घोषित कर दिया।

### हथियारों के प्रदर्शन में सात लाइसेंस निलंबित

**शिवपुरी**. तेंदुआ थाना क्षेत्र के ग्राम कूड़ाजागीर में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन आखिरकार महंगा पड़ गया. लंबे समय से सोशल मीडिया पर शस्त्रों के साथ फोटो और वीडियो चर्चा का विषय बने हुए थे. अब जिला प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सात शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं. इसके साथ ही आदिवासियों की भूमि पर कब्जे का मामला भी आज सामने आया है , माना जा रहा है आदिवासियों की सैकड़ों. बीघा जमीन दबंगों ने कब्जा रखी है . इसकी जांच की मांग की जा रही है कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड, आयुध नियमों के उल्लंघन तथा सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था के लिए खतरा माना गया.

# सदन में सीधे विधेयक पेश नहीं

कन्हैया लोधी

**भोपाल, 13 जुलाई. विधानसभा की समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित विधानसभा अध्यक्षों की समिति ने जो प्रारूप प्रतिवेदन तैयार किया है, यदि उस पर अमल हुआ तो प्रदेश के साथ ही देश के बाकी राज्यों की विधानसभा की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आ सकता है.**

अब तक विधानसभा में विधेयक पेश करना सरकार का विशेषाधिकार होता है, विधेयक तैयार करने में केवल सरकार के नीति निर्धारकों की ही भूमिका होती है, लेकिन अब इसमें जनता के सुझाव भी लिये जा सकते हैं और यदि कोई सुझाव ऐसा है, जिसे विधेयक का हिस्सा बनाया जा सकता है तो फिर उसे शामिल भी किया जाएगा. इतना ही नहीं अब महत्वपूर्ण विधेयकों को राज्य सरकार सीधे सदन में चर्चा के लिए पेश नहीं कर सकेगी, बल्कि ऐसे विधेयकों को पहले सदन की समिति या प्रवर समिति के सामने पेश करना होगा. समिति विधेयकों का गुण-दोष तय करेगी और जरुरत पड़ने पर विधेयकों के प्रावधानों में बदलाव के लिए

सिफारिश भी कर सकेगी. यहां बता दें कि विधानसभा की समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए जो समिति गठित की गई है, उस समिति के सभापति मप्र विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह को बनाया गया था. इस समिति में मप्र के अलावा पांच राज्य उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष भी सदस्य के तौर पर शामिल थे.

इस समिति ने बीते दिनों कोलकाता में अपनी सिफारिशें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सौंपी है, जिसमें ये सिफारिशें की गई है. इन सिफारिशों को परीक्षण के बाद लागू करने के लिए देश की सभी विधानसभाओं को भेजा जाएगा. ये मप्र के लिए बड़ी उपलब्धि होगी,क्योंकि ज्यादातर सिफारिशों में मप्र की बड़ी भूमिका रही है.

> विधानसभा अध्यक्षों की समिति ने यह भी सिफारिश की है कि विधानसभा की समिति गठित होने के बाद समिति तय निर्धारित अवधि जो कि 15 दिन होगी, तक की अवधि में सार्वजनिक कार्यक्षेत्र के हितधारकों, नागरिकों और विशेषज्ञ आदि की अधिक भागीदारी भी सुनिश्चित करने उनसे सुझाव मांग सकेगी. वहीं सदस्यों को विधेयक की जानकारी देने के लिए विधानसभा में विधेयक संबंधी विशेषज्ञों द्वारा विधेयक पर चर्चा होगी.

**सदन समिति या प्रवर समिति गठित करने नियमों में संशोधन करना होगा**- दरअसल अभी मप्र सहित देश के ज्यादातर राज्यों में विधेयकों के परीक्षण या विचार और सुझाव के लिए सदन समिति या फिर सदन की प्रवर समिति गठित नहीं है. ऐसे में समिति ने सिफारिश की है कि इस तरह की समिति गठित करने के लिए प्रक्रिया और नियमों में संशोधन होना चाहिए. हांलाकि इस मामले में अध्यक्ष के विशेषाधिकार को चुनौती नहीं दी गई है. सिफारिश में कहा गया है कि अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार होगा कि नियमों को शिथिल करते हुए विशेष परिस्थितियों में सदन में पेश विधेयक पर चर्चा कराकर पारित किया जाए. यह भी सिफारिश की गई है कि समितियों द्वारा निर्धारित 3 माह में सदन में प्रतिवेदन पेश करना भी अनिवार्य होगा. इससे समितियां विधेयकों को अपने पास लटका कर नहीं रख सकेंगी. वहीं दूसरी तरफ जल्दबाजी में पारित होने वाले कानूनों को रोका भी जा सकेगा.

> विधेयक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस होता है. यहां तक कि बजट भी विधेयक के रूप में ही पारित होता है. बजट के अलावा सरकार के दूसरे नीतिगत विधेयकों पर सामान्य तौर पर सदन में चर्चा को लेकर उदासीन माहौल होता है और ये चर्चा केवल रस्मी बनकर रह जाती है. चर्चा में सीमित संख्या में ही सदस्य हिस्सा लेते हैं.

# मध्यप्रदेश के सबसे बड़े सहकारिता घोटाले में प्रशासन का चाबुक

**62.78 करोड़ की रिकवरी के लिए न्यायालय का सख्त एक्शन**

**पिपलानी सहकारी समिति के प्रबंधक और लिपिक सहित 5 नपे**

**खंडवा, 13 जुलाई . भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं, इसका जीता-जागता सुबूत है पिपलानी प्राथमिक सहकारी समिति का महाघोटाला. किसानों और सहकारिता के नाम पर करोड़ों का गोलमाल करने वाले भ्रष्टाचारियों पर आखिरकार प्रशासन का हथौड़ा चल ही गया है.**

इसे मध्यप्रदेश का संभवत: सबसे बड़ा सहकारिता घोटाला माना जा रहा है, जिसमें 62 करोड़ 78 लाख 6 हजार 34 रुपये की विशाल राशि की रिकवरी के लिए उप पंजीयक (सहकारी संस्थाएं) न्यायालय ने पांच तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों की अचल संपत्तियों को तत्काल प्रभाव से कुर्क (अटैच) कर दिया है.

**इन 'धनकुबेरों' पर गिरी गाज:** सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लगाने वाले जिन लोगों के गिरेबान तक कानून के हाथ पहुंचे हैं, उनमें पिपलानी समिति के तत्कालीन समिति प्रबंधक श्रीराम राजपूत व महेन्द्र सिंह ठाकुर, तत्कालीन लिपिक उमाशंकर सोलंकी, सहायक प्रबंधक कृपाल सिंह धुर्वे और हरीश चौरसिया शामिल हैं. आदेश स्पष्ट है- जब तक इस महाघोटाले का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक इनकी तमाम अचल संपत्तियां अटैच रहेंगी.

### पाई-पाई वसूलने की तैयारी, जिले में खौफ

62.78 करोड़ रुपये कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है. प्रशासन ने इस बड़ी कार्रवाई से साफ संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और शासन की पाई-पाई वसूली जाएगी. सहकारिता विभाग की इस ऐतिहासिक और कड़क कार्रवाई से जिले भर की अन्य सहकारी समितियों और वहां बैठे मठाधीशों की नींद उड़ गई है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अंतिम फैसले के बाद इन अफसरों पर और क्या कानूनी गाज गिरती है.

## विकास कार्यों की सौगात देंगे मंत्री विजय शाह कल

**खंडवा।** प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह 15 जुलाई को खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे फेफरी सरकार, खंडवा और छैगांवमाखन में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। महिला सम्मेलन सहित कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंत्री डॉ शाह सुबह 10 बजे खंडवा से फेफरी सरकार के लिए रवाना होंगे। सुबह 11.30 बजे वे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे तथा विधानसभा स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

## पुरस्कारों के लिए कम आवेदन मिले

- **अब 31 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन**
- **राज्य और जिला स्तरीय सम्मान की घोषणा**

प्रशासनिक संवाददाता

**भोपाल, 13 जुलाई. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया गया है.**

विभाग को पूर्व में तय समय-सीमा के भीतर बेहद कम संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके चलते जमीनी स्तर पर काम करने वाले वास्तविक हकदारों तक पहुंचने के उद्देश्य से आवेदन की तिथि बढ़ा दी गयी है. कुल छह अलग-अलग श्रेणियों में राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है. इसमें विजेताओं को एक लाख रुपये तक की सम्मान निधि और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है. इसके तहत बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने तथा पीड़ितों के पुनर्वास में योगदान देने वाली बालिकाओं और महिलाओं को रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.

# लाखों का गबन करने वाला गिरफ्तार

**रायसेन, 13 जुलाई . भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से जुड़े लाखों रुपये के गबन मामले में फरार चल रहे कियोस्क संचालक गोपाल सिंह राजपूत को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है.**

एसडीओपी प्रतिभा शर्मा के अनुसार एसबीआई रायसेन शाखा के प्रबंधक की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध 11.31 लाख रुपये के गबन का प्रकरण दर्ज किया गया था. आरोप है कि उसने ग्राहकों द्वारा जमा कराई गई राशि खातों में जमा न कर स्वयं हड़प ली और फरार हो गया.

> पीड़ित बैंक और पुलिस के लगा रहे हैं चक्कर
>
> मामले में कई खाताधारकों ने भी शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी जमा पूंजी का दुरुपयोग किया गया. अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने की उम्मीद में बड़ी संख्या में पीड़ित बैंक और पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं. पुलिस प्रभावित खाताधारकों के बयान दर्ज कर रही है और जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि विस्तृत जांच के बाद गबन की वास्तविक राशि और पूरे नेटवर्क की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित विशेष पुलिस दल लगातार उसकी तलाश में जुटा था. रविवार शाम उसे भोपाल के एलएनसीटी कॉलेज क्षेत्र से गिरफ्तार कर रायसेन लाया गया. पुलिस अब उसके बैंकिंग लेनदेन, दस्तावेजों और मोबाइल रिकॉर्ड की जांच कर रही है.

## महिलाओं ने की युवक की पिटाई

नव भारत न्यूज

**रतलाम।** स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के दिल बहार चौराहे पर सोमवार सुबह दिनदहाड़े हुई मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे दिल बहार चौराहे के पास एक युवक बैठा हुआ था।

इसी दौरान तीन से चार महिलाएं वहां पहुंचीं और किसी बात को लेकर उसका विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। व्यस्त चौराहे पर हुई इस घटना से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई।

घटना के दौरान पास में खड़े एक मैजिक (यात्री वाहन) चालक ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। कुछ ही देर में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी सक्रिय हुई और इसकी जांच शुरू कर दी।

प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि मारपीट के दौरान महिलाओं ने युवक की जेब से नकदी भी निकाल ली। हालांकि पुलिस ने अभी इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

## केन्द्रीय मंत्रियों के नाम पर 40 लाख की ठगी

### पति के मौत के बाद पीड़िता रीवा एसपी कार्यालय पहुंची शिकायत करने

नवभारत न्यूज

**रीवा, 13 जुलाई, उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद की महिला ने रीवा के एक युवक पर केन्द्रीय मंत्रियों के नाम पर लगभग 40 लाख की ठगी का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि रीवा के रहने वाले अभयराज सिंह नामक व्यक्ति ने खुद को केन्द्रीय मंत्री का साला बताया और केन्द्र की योजनाओं में पार्टनरशिप में काम करने का झासा देकर पैसे ठग लिये.**

महिला के मुताबिक उसके पति ने प्लॉट गिरवी रखकर पैसे दिए थे, लेकिन काम नहीं होने पर

डिप्रेशन में आकर उसके पति की भी मौत हो गई. इधर पैसा लेने वाले ने महिला के पति की मौत के बाद महिला से भी संपर्क तोड़ दिया. फिलहाल पीडित माया त्यागी पति स्व. अच्छत त्यागी निवासी गाजियाबाद ने रीवा पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है. दरअसल रीवा पहुंची गाजियाबाद निवासी महिला ने रीवा निवासी अभयराज सिंह पर 40 लाख की ठगी का आरोप लगाया है. महिला के मुताबिक अभयराज से उनकी मुलाकात कालोनी में ही रहने वाले लोगो के जरिए हुई थी. महिला ने बताया कि रीवा के रहने वाले अभयराज ने केन्द्रीय मंत्री एवं अन्य राजनेताओं को अपना रिश्तेदार बताकर पहले तो उसने बातों से उसके पति का दिल जीता फिर मंत्रियों की मदद से केन्द्र की योजनाओं का काम दिलाने का झांसा देकर पैसे ऐठ लिये.

## सिंह निवास में अवैध कॉलोनी की सड़कें जमींदोज

**शिवपुरी. प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर गरजा और इस बार निशाने पर ग्राम सिंहनिवास में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी रही. राजस्व अमले ने जेसीबी से कॉलोनी में बनाई गई सड़कों को तोड़ दिया और साफ संदेश दिया कि बिना अनुमति जमीन पर प्लॉटों का खेल अब आसान नहीं होगा.**

प्रशासन के अनुसार ग्राम सिंहनिवास के सर्वे क्रमांक 2531/2/1/1 एवं 2531/21/2 पर नियमों को दरकिनार कर कॉलोनी विकसित की जा रही थी. मामला प्रशासन की नजर में आते ही टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी से

अवैध रूप से बनाई गई सड़कों को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान संबंधित कॉलोनाइजर शिवसिंह धाकड़ को स्पष्ट हिदायत दी गई कि वैधानिक अनुमतियों के बिना कॉलोनी विकसित नहीं की जा सकती. नियम तोड़कर प्लॉटिंग या निर्माण की कोशिश की गई तो आगे और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से कॉलोनाइजरों में खलबली मची हुई है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शहर से लेकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों तक अवैध प्लॉटिंग पर नजर है. जहां नियम टूटे मिले, वहां नोटिस की औपचारिकता के साथ बुलडोजर और कानूनी कार्रवाई भी पीछे नहीं रहेगी.

## हादसे में डॉक्टर व ससुर की मौके पर ही मौत

नव भारत न्यूज

**रतलाम।** रतलाम-इंदौर फोरलेन पर रविवार और सोमवार की दरमियानी रात हुए भीषण सड़क हादसे ने शहर को गहरे सदमे में डाल दिया। धराड़ के आगे टोल नाके के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी छोटी पुलिया से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि रतलाम के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष सिंह (42) और उनके 80 वर्षीय ससुर शिवनारायण राजौरिया की मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य परिजन घायल हो गए। दुर्घटना सोमवार तड़के करीब 3:30 बजे हुई। परिवार भोपाल से रतलाम लौट रहा था। कार डॉ. मनीष सिंह के साढ़ू अजय चला रहे थे। लंबी यात्रा और देर रात होने के कारण चालक को झपकी आ गई, जिससे कार अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई। चालक ने सीट बेल्ट पहन रखी थी, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया।अस्पताल में उपचार के दौरान पहले शिवनारायण राजौरिया ने दम तोड़ दिया। कुछ समय बाद डॉ. मनीष सिंह ने भी उपचार के दौरान अंतिम सांस ली।

## 33 पेट्रोल पंपों पर जनसुरक्षा को लेकर वैध लाइसेंस नहीं

- **प्रशासन ने जारी किया नोटिस, कार्रवाई**
- **बिना विस्फोटक लाइसेंस पेट्रोल-डीजल बेच रहे थे**

नवभारत न्यूज

**दमोह। जिले में पेट्रोल पंपों पर लगातार किए जा रहे आकस्मिक निरीक्षण में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध विस्फोटक लाइसेंस के पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण और विक्रय करने वाले चार पेट्रोल पंपों को सील कर दिया है।**

वहीं 33 पेट्रोल पंप संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही इंडियन ऑयल कंपनी के जबलपुर स्थित रीजनल अधिकारी से भी जवाब-तलब किया गया है। चारों एसडीएम जिसमें दमोह, पथरिया, तेंदूखेड़ा व हटा के साथ तहसीलदारों ने भी खाद्य आपूर्ति विभाग आदित्य दाहिया के साथ निरीक्षण किया। कमी मिलने के बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया और कार्रवाई के लिए निर्देशित किया.

आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय-कलेक्टर

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि निरीक्षण में पाया गया कि कई पेट्रोल पंप बिना विस्फोटक लाइसेंस अथवा लाइसेंस के नवीनीकरण के ही पेट्रोल और डीजल का भंडारण व विक्रय कर रहे थे। यह न केवल विस्फोटक अधिनियम और संबंधित नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय भी है। इसी के मद्देनजर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई है।उन्होंने कहा इंडियन ऑयल कंपनी के रीजनल अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है,

## ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से 3 की मौत

नवभारत न्यूज

**मुरैना. मुरैना जिले में अवैध पत्थरों के परिवहन ने एक बार फिर तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. माता बसैया थाना क्षेत्र में पाराशर की तिवारिया (जीगनी) गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर गलत दिशा में चली गई और सामने से आ रहे सवारी ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी.**

टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया जबकि पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली भी सड़क किनारे पलट गई.

पुलिस के अनुसार बानमोर के विजयपुरा निवासी राठौर परिवार कुलदेवता हुराई भूमिया मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए ऑटो से जा रहा था. परिवार दिल्ली के नजफगढ़ में रहता है और बेटे की शादी के बाद विशेष पूजा के लिए गांव आया था. सोमवार को रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया.

हादसे में महेंद्र राठौर (50), मनोरमा राठौर (45) और ऑटो चालक रामकेश कुशवाह (45) की मौत हो गई.

**हाईकोर्ट फैसला** | विशेष बेंच करेगी अंतिम सुनवाई,एसीजे ने खुद को सुनवाई से किया अलग

# प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं

**जबलपुर, 13 जुलाई. मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रही बहुचर्चित कानूनी लड़ाई सोमवार को नए मोड़ पर पहुंच गई. हाईकोर्ट ने फिलहाल प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाने अथवा कोई अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया.**

साथ ही स्पष्ट किया कि मामले की अंतिम सुनवाई अब विशेष युगलपीठ करेगी, जिसका गठन एक-दो दिन में कर दिया जाएगा. संभावना है कि इसी सप्ताह मामले पर अंतिम सुनवाई होगी. एक्टिंग चीफ जस्टिस

विवेक रूसिया व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष सोमवार को अंतरिम राहत पर बहस चल रही थी. इसी दौरान आरबी राय प्रकरण का उल्लेख आया. जस्टिस रूसिया ने बताया कि उक्त मामले में वे पूर्व में अधिवक्ता के रूप में पेश हो चुके हैं. न्यायिक निष्पक्षता की मर्यादा बनाए रखने के लिए उन्होंने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया.

युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल न तो प्रमोशन पर रोक लगेगी और न ही किसी पक्ष को अंतरिम राहत दी जाएगी. अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इस प्रकरण की सुनवाई के लिए विशेष युगलपीठ का गठन करेंगे. सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन उपस्थित रहे.

> याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा और नमन नगरथ ने पक्ष रखा. अजाक संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे. दरअसल, राज्य के हजारों शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े इस मामले में अब सभी की निगाहें विशेष युगलपीठ की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां प्रमोशन में आरक्षण के नियमों की संवैधानिक वैधता पर निर्णायक बहस होगी.

# जल, जंगल और जमीन की कानूनी लड़ाई

**खंडवा।** खंडवा में वनभूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक मुहिम सोमवार को एक बड़े जनांदोलन में तब्दील हो गई है। सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले हजारों आदिवासियों ने प्रशासन की कार्रवाई को असंवैधानिक करार देते हुए स्टेडियम ग्राउंड में विशाल प्रदर्शन किया। यह आंदोलन वनाधिकार अधिनियम (2006) और पेसा कानून के तहत आदिवासियों के अपने पारंपरिक अधिकारों को बचाने की आर-पार की लड़ाई बन गया है। इस पूरे प्रदर्शन के केंद्र में भिलाईखेड़ा के वे प्रभावित परिवार हैं, जिन पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है।

आदिवासी समाज के पदाधिकारियों का सीधा आरोप है कि

प्रशासन वनाधिकार अधिनियम, 2006 की भावना के विपरीत काम कर रहा है। उनका तर्क है कि जब तक वनभूमि पर पात्र परिवारों के दावों का कानूनी और निष्पक्ष तरीके से पूर्ण निराकरण नहीं हो जाता, तब तक किसी भी परिवार को उसकी जगह से बेदखल करना गैर-कानूनी है। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ नारेबाजी नहीं की, बल्कि अपने अधिकारों के समर्थन में संविधान और कानूनों का पुरजोर हवाला दिया। सभा में वनाधिकार अधिनियम की धारा 4 (5), पेसा कानून और संविधान के अनुच्छेद 46 का विशेष रूप से जिक्र करते हुए स्पष्ट किया गया कि इन कानूनी प्रावधानों के तहत आदिवासियों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी है। आदिवासियों का दावा है कि वे पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं, इसलिए %जल, जंगल और जमीन% पर उनका वैधानिक और पारंपरिक अधिकार है। बिना वैधानिक प्रक्रिया पूरी किए कोई भी बेदखली उन्हें स्वीकार नहीं होगी।

**प्रशासन के खिलाफ गूंजते नारे** - रैली के रूप में शहर से होते हुए स्टेडियम पहुंचे हजारों लोगों को रोकने के लिए पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। ग्राउंड में हुई सभा में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला।